कथन:-

निरज कुमार गुप्ता पिता- मुन्नीलाल गुप्ता उम्र [illegible] साकिन [illegible] थाना [illegible] मो०नं० 77718228 [illegible]

[illegible]

[illegible] रहने वाला हूँ। [illegible] हूँ। मैं [illegible] कम्पनी के प्रमुख [illegible], [illegible] मेहता, [illegible], [illegible] [illegible] कम्पनी [illegible] [illegible]

[illegible]

मुझ [illegible] अभियुक्त ने पिस्तौल [illegible] मेरे गुरू [illegible]
[illegible] नया है [illegible] गुरु [illegible] अभियुक्त [illegible]
[illegible] साथ [illegible] मुझे [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] दिया है।

नीरज गुप्ता

N.K. Gupta
16.7.16.

[illegible]
16.7.16

# कथन

निरज कुमार गुप्ता पिता मुन्नीलाल गुप्ता उम्र 31 वर्ष सा.बरगवॉ थाना बरगवॉ जिला सिंगरौली (म0प्र0)

कथन पर बताये कि मै ग्राम बरगवॉ का रहने वाला हूँ बेरोजगार हूँ विप्रो कम्पनी के प्रमुख अजीनप्रेमसुरेश मेहतो, आलोक संघालिया, मृदुल घोष, सौरभ आदर्श ये सभी लोग विप्रो कम्पनी से संबंधित है मुझे आफर कम्पनी द्वारा मोबाईल टेलीफोन से कोलकत्ता आई.टी. एजुकेटिव का मिला था जो मेल के माध्यम से कोलकत्ता गया, मेरी ज्वाईनिंग नही हुई मेल द्वारा पता करने पर पता चला कि यह आफर फर्जी है जिसके संबंध मे उपरोक्त लोगो के खिलाफ परिवाद पत्र माननीय न्यायालय देवसर मे पेश किया हूँ माननीय न्यायालय देवसर द्वारा सुरेश मेहतो एवं आलोक संघालिया के खिलाफ परिवाद पत्र दिनांक 05.05.16 को रजिस्टर्ड किया गया है। जिसका प्रकरण क्र. 621/16 धारा 120बी, 420, 465 ता.हि. है। इसी परिवाद के संबंध मे न्यूज 24 सिंगरौली के रिपोर्टर देवेन्द्र पाण्डेय को निकालने को सूचना दिया, रिपोर्टर देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा 21.05.16 को मेरे कथन अपने कैमरे मे लिया गया, विन्ध्यनगर मे प्रकरण का सभी सबूत दिया गया व बताया गया, दिनांक उपरोक्त को जिस वकील के माध्यम से परिवाद पत्र दायर किया गया, उनका बयान लेने हेतु कहा गया जो दिनांक 26.05.16 को मोबाइल मे कथन लिया गया, किन्तु मेरे न्यूज को टी.व्ही. मे प्रसारित नही किया गया। दिनांक 02.06.16 को मै रिपोर्टर के न्यूज 24 मे ट्यूटर के माध्यम से रिपोर्ट किया, दिनांक 06.06.16 को देवेन्द्र पाण्डेय कहा कि वकील का कथन लेने देवसर चलना है, तब मै तैयार हुए तथा देवेन्द्र पाण्डेय बोला कि डीजल का पैसा चाहिए तो मै 200 रूपये दिया तथा साथ मे देवसर गया देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा कैमरे मे वकील का कथन लिये व देवेन्द्र द्वारा बोला गया कि दो या तीन दिन के अन्दर न्यूज प्रसारित हो जायेगा। फिर भी आज तक प्रसारित नही हुआ। दिनांक 14.06.16 को रात्रि 9.00 बजे व्हाट्स एप मे शिकायत सूचना दिया था देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा कहा गया, बिना पैसे के फ्री मे न्यूज नही चलते है ना ही प्रसारित किये जाते है। न्यूज मे सच्चाई नही है 1500 रूपये की डिमाण्ड किये, मुझे शंका है कि आरोपियो से पैसा लेकर मेरे न्यूज को दबाया गया है। इस न्यूज को तोड मरोड कर आरोपियो को साथ देगें व मुझे बदनाम करेगें। जिस कारण से आवेदन पत्र दिया हूँ।

दिनांक 22/8/16

बयान

परमेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० श्री अजय कुमार पाण्डेय उम्र 30 वर्ष ग्राम [illegible] थाना [illegible] जिला - मिर्जापुर (उ०प्र०)

शपथ पर बयान की कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ। [illegible] नम्बर 25 का [illegible] पिता हूँ। [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] सूचना की [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कि मामला अभी न्यायालय में [illegible] [illegible] न्यायालय के [illegible] [illegible] न्यायालय की [illegible] [illegible] [illegible] न्यायालय का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] ऊपर गलत [illegible] प्रकाशित किया है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ऊपर [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिया है।

[illegible]
22/8/16

[illegible]

# कथन

देवेन्द्र पाण्डेय पिता श्री अंजनी प्रसाद पाण्डेय उम्र 30 वर्ष ग्राम खैराही थाना माडा जिला सिंगरौली (म0प्र0)

कथन पर बताये कि उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ वर्तमान मे मै न्यूज 24 का संवाददाता सिंगरौली जिले का हूँ आवेदक निरज गुप्ता ग्राम बरगवॉ के द्वारा विप्रो कम्पनी के फर्जीवाडे मामले मे एक सूचना दी गई, मै उक्त सूचना को गम्भीरता से लेते हुए निरज गुप्ता तथा निरज गुप्ता के वकील का कथन लेने हेतु देवसर गया था वकील ने बताया कि मामला अभी न्यायालय मे विचाराधीन है, चूकि मामला न्यायालय मे विचाराधीन होता है तो न्यायालय की गोपनीयता को खबर चलाकर भंग नही किया जा सकता, जब तब की न्यायालय का ठोस फैसला नही आ जाता नीरज गुप्ता द्वारा यह आरोपी लगाया गया है कि देवेन्द्र पाण्डेय ने विप्रो कम्पनी से पैसे लेकर मेरी सूचना (मामले) को दबा दिये, जबकि मेरा विप्रो कम्पनी से आज तक कोई सम्पर्क नही हुआ है। नीरज गुप्ता के द्वारा सोसल मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर गलत आरोपी प्रसारित किया है। जो मेरे खिलाफ आरोप नीरज गुप्ता द्वारा लेख किया है उसके संबंध मे साक्ष्य (बसूत) पेश किया जाय। विप्रो कम्पनी से पैसा लेने के संबंध मे इसके पहले भी नीरज गुप्ता द्वारा कई मीडिया कर्मचारियो एवं पुलिस कर्मचारियो के ऊपर सोसल मीडिया से आरोप लगा चुका है। खबर चलाने के लिए मीडिया स्वतंत्र है आवेदक नीरज गुप्ता द्वारा आवेदन पत्र बढा चढा कर झूठी दिया है।

पावती

1. आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम नीरज गुप्ता S/o मुन्नी लाल गुप्ता

2. चाही गई जानकारी विवरण न्यूज 24 व उनके कर्मचारी ने संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय के खिलाफ बरवाँ थाना में शिकायत 30/06/16 को किया था, व 16/07/16 को थाना बरवाँ में मामला दर्ज किया गया था उनकी नकल की कापी बावत

3. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक

4. आवेदनकर्ता के वाछित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध मे अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक 30 कार्य दिवस

5. सम्बन्धित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

30/07/16

लोकसूचनाअधिकारी/सहायक
लोकसूचना अधिकारी द्वारा प्रतिकृत
प्रद नाम रबर सील

दिनांक 30/07/16